"प्ररूप जीएसटीआर-9ग

नियम 80(3) देखें

भाग क—समाधान विवरण

भाग. I	मूलभूत ब्यौरे		
1	वित्तीय वर्ष		
2	जीएसटीआईएन		
3क	विधिक नाम	< स्व>	
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	<स्व>	
4	क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं ?	<<कृपया विनिर्दिष्ट करें>>	
		(सभी सारणियों में रकम रूपए में)	
भाग. II	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान		
5	**सकल आवर्त का समाधान**		
क	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त (जिसके अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)		
ख	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व	(+)	
ग	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)	
घ	अनुसूची-1 के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)	
ङ	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्तु जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं	(+)	
च	व्यापार बट्टा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(+)	
छ	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)	
ज	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व	(-)	
झ	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम	(-)	

ञ	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में लेखा-जोखा दिए गए साख पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(-)	
ट	एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए यूनिटों तक माल के प्रदाय के मद्दे समायोजन	(-)	
ठ	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	(-)	
ड	धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ढ	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ण	उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन	(+/-)	
त	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त		<स्व>
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित आवर्त		
द	असमाधानकृत आवर्त (थ-त)		**एटी1**
6	**वार्षिक सकल आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण**		
क	कारण 1	<<पाठ>>	
ख	कारण 2	<<पाठ>>	
ग	कारण 3	<<पाठ>>	
7	**करायेध आवर्त का समाधान**		
क	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से)		<स्व>
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का मूल्य		
ग	कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय		
घ	ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाना है।		
ङ	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार करायेध आवर्त (क – ख – ग – घ)		<स्व>
च	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन-9) में घोषित दायित्व के अनुसार करायेध आवर्त		
छ	असमाधानकृत करायेध आवर्त (च-ङ)		**एटी 2**
8	**करायेध आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण**		
क	कारण 1	<<पाठ>>	
ख	कारण 2	<<पाठ>>	
ग	कारण 3	<<पाठ>>	
भाग. III	**संदत्त कर का समाधान**		
9	**दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान**		

			संदेय कर			
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
क	5%					
ख	5% (आरसी)					
ग	12%					
घ	12% (आरसी)					
ङ	18%					
च	18% (आरसी)					
छ	28%					
ज	28% (आरसी)					
झ	3%					
ञ	0.25%					
ट	0.10%					
ठ	ब्याज					
ड	विलम्ब शुल्क					
ढ	शास्ति					
ण	अन्य					
त	उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम		<स्व>	<स्व>	<स्व>	<स्व>
थ	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित संदत्त कुल रकम					
द	रकम का असमाधानकृत संदाय (**पीटी 1**)					
10	**रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण**					
क	कारण 1	<<पाठ>>				
ख	कारण 2	<<पाठ>>				
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
11	**अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से)**					

			नकदी के माध्यम से संदत्त किया जाए			
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि कोई हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	अन्य (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)					

भाग. IV	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान		
12	**शुद्द इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान**		
क	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ लिया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखाबहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए)		
ख	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)	(+)	
ग	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में दावा किए जाने वाले चालू वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)	(-)	
घ	संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखाबहियों के अनुसार लाभ लिया गया शुद्ध प्रत्यय कर		<स्व>
ङ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय		
च	असमाधानकृत इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)		**आईटीसी 1**
13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में असमाधानकृत अंतर के कारण		
क	कारण 1	<<पाठ>>	

ख	कारण 2	<<पाठ>>		
ग	कारण 3	<<पाठ>>		
14	**वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का समाधान**			
	विवरण	मूल्य	आईटीसी की कुल रकम	लाभ ली गई पात्र आईटीसी की रकम
	1	2	3	4
क	क्रय			
ख	भाड़ा/ढुलाई			
ग	ऊर्जा और ईंधन			
घ	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत)			
ङ	किराया और बीमा			
च	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल			
छ	स्वामिस्व			
ज	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।)			
झ	प्रवहण प्रभार			
ञ	बैंक प्रभार			
ट	मनोरंजन प्रभार			
ठ	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)			
ड	मरम्मत और अनुरक्षण			
ढ	अन्य प्रकीर्ण व्यय			
ण	पूंजी माल			
त	कोई अन्य व्यय 1			

थ	कोई अन्य व्यय 2			
द	उपभुक्त पात्र आईटीसी की कुल रकम			<<स्व>>
ध	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावाकृत आईटीसी			
न	असमाधानकृत (आईटीसी 2)			

15	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण	
क	कारण 1	<<पाठ>>
ख	कारण 2	<<पाठ>>
ग	कारण 3	<<पाठ>>

16	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (ऊपर 13 और 15 में विनिर्दिष्ट कारणों से)	
	वर्णन	संदेय रकम
	केन्द्रीय कर	
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
	एकीकृत कर	
	उपकर	
	ब्याज	
	शास्ति	

भाग. V	गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश					
			नकदी के माध्यम से संदेय			
	वर्णन	मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					

	इनपुट कर प्रत्यय					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	वार्षिक विवरणी (जीएसीटीआर-9) में सम्मिलित नहीं किए गए प्रदायों के लिए संदत्त कोई अन्य रकम					
	वापस संदाय के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय					
	परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया मांगे					
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

रजिस्ट्रकृत व्यक्ति का सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि संपरीक्षा द्वारा तैयार और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण में अपलोड कर रहा हूं और इस विवरण में मेरे द्वारा कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं अन्य विवरण, यथालागू, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरण, लेखा लाभ और हानि और तुलनपत्र आदि भी हैं, भी अपलोड कर रहा हूं।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

पदनाम/प्रास्थिती

स्थान:

तारीख:

अनुदेश :-

1. प्रयोग किए गए निबंधन :

   (क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

2. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-01, प्ररूप जीएसटीआर-3ख और प्ररूप जीएसटीआर-9 भरने आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं। समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए।

3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है।

4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है :

सारणी सं0	**अनुदेश**
5क	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है। यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा। इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा। यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखाबहियों के प्रति निर्देश भी है।
5ख	ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष में अग्रनीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। (उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय गिया गया है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा)।
5ग	ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा।

5घ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

5ङ चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा।

5च. व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा जोखा दिया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी।

5छ. अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा।

5ज. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत तंत्र के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा।

5झ. सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत्त नहीं किया गया है, किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा।

5ञ. प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय कथनों में दिया गया है किंतु यह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा।

5ट. एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य, जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया जाएगा।

5ठ. ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं। वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ-साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा। इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा संदत्त किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा।

5ड. ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है। इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा।

5ढ. विदेशी विनिमय घटबढ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा।

5ण. ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा।

5थ. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा। यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्यांक 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा।

6. वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

7. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपबंध करती है।

7क. सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी।

7ख. छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।

7ग. शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।

7घ. विपरित प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।

7ङ. कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है।

7च. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी (4ढ-4छ)+(10-11) में घोषित किया गया कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा।

8. समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ङ से व्युत्पन्न है और सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :--

सारणी सं.	**अनुदेश**
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है। "आरसी" के रूप में चिह्नित मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरित प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
9थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां घोषित की जाएगी। इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए।
10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी।
11.	ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है। भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :--

सारणी सं.	**अनुदेश**
12क.	संपरीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएएन पर विद्यमान हो सकते हैं। यह कई राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं। ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित वित्तीय कथन के प्रतिनिर्देश में कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है।
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया।
12ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा।

12घ.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा।
12ङ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ञ में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा।
13.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
14.	यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है। इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है। करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा।
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
14ध.	वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां घोषित की जाएगी। वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ञ को इस सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
15.	सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
16.	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी।

7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है। कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा। अंत: में कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएंगी।

8. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "समाधान विवरण" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रानिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

"भाग-ख - प्रमाणीकरण

I. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैंने/हमने--

(क) …….. को तुलन-पत्र की ;

(ख) ………… से आरंभ होने वाले और ……… को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की ;

(ग) यहां संलग्न ………. से आरंभ होने वाली और ………. को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन, मैसर्स ……… (नाम) ………. (पता) ……….. (जीएसटीआईएन) की ;

परीक्षा कर ली है।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमियों/अंसगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :

……………………………………

……………………………………

3. (ख) *मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है।

(इ) मै/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर .... पर कारबार के मुख्य स्थान और .... कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं ।

4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

....

....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम ....

सदस्यता सं. ....

तारीख : ....

पूरा पता ....

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स .... (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा .... अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. .... धारण करने वाले मैसर्स .... (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ .... तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं ।

(क) .... को तुलन-पत्र ;

(ख) .... से आरंभ होने वाले और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;

(ग) .... से आरंभ होने वाली और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

....

....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम ....

सदस्यता सं. ....

तारीख : ....

पूरा पता ...."